

# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।

हिसार बाईपास रोड, सिरसा टेलिफोन न० 01666-243307

Email:- forest\_sirsa@yahoo.com&df0.sir-hry@nic.in

क्रमांक: 7147/FCA  
सेवा में

दिनांक: 30/09/22

श्री मनोज बंसल पुत्र श्री पवन बंसल,  
प० बंसल इण्डस्ट्रीस, गांव कर्मगढ,  
जिला सिरसा।


**विषय:** Diversion of 0.0114 ha of forest land for access to M/s Bansal Industries along Sahuwala to Keharwala Road km. 1.76 R/s, at village Karamgarh, under forest division and District Sirsa Haryana.

**Proposal No. FP/HR/Approach/41636/2019**

**संदर्भ:** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पृ० क्रमांक 9-HRB005/2021-CHA दिनांक 28.09.2021 व इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4568 दिनांक 30.09.2021 उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र द्वारा इस केस में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः सी०ए० स्कीम अनुसार आप द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि का डिमांड नोट निम्नप्रकार से जारी करते हुए आपको लिखा जाता है कि आप यह राशि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website [www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in) के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में जमा करवाए।

Sr. No.	Particular	Amount
1	Compensatory Afforestation	222794
2	Additional Compensatory Afforestation	0.00
3	Penal Compensatory Afforestation	253986.00
4	Catchment Area treatment (Soil & Moisture Conservation Charges)	66838
5	Penalty for violation	12120.00
6	Additional Charges for Protected Area	0.00
7	Net Present Value (NPV)	10112.00
8	Felling Charges	0.00
9	<b>Total</b>	<b>565850</b>


इसके अतिरिक्त बिन्दू स० (vi) अनुरूप अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में जिलाधीश सिरसा से प्राप्त प्रमाण पत्र (vii) अनुरूप HPCB एन०ओ०सी० शीघ्रातिशीघ्र मण्डल कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

  
वन मण्डल अधिकारी,  
सिरसा  
30/09/22

पृ० क्रमांक 7148

दिनांक 30/09/22

इसकी एक प्रति वन राजिक अधिकारी, कांलावाली को अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में बार-2 पत्राचार करने उपरांत भी प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा नहीं करवाई जा रही है। अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार से एफ०सी०ए० 1980 की उलंघना की अवस्था में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्यवाही करके इस कार्यालय को अवगत करवाए।

  
वन मण्डल अधिकारी,  
सिरसा।  
30/09/22